न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी रूबी अंसार R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या।16/2021। निर्णय दिनांक :– 23/09/2025

उनवानी प्रार्थना पत्र::

1. धर्मसिंह पुत्र रामदेव जाति मीणा आयु 64 वर्ष निवासी दांताढाणी तहसील देवली जिला टोंक।
2. दयाराम पुत्र रामदेव जाति मीणा आयु 58 वर्ष निवासी दांताढाणी तहसील देवली जिला टोंक।

–प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार महोदय, देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0

–अप्रार्थी–

उपस्थिति :–

श्री बंशीलाल कलवार
अधिवक्ता प्रार्थी

पेरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.06.84 को मोती पुत्र रूघनाथ जाति ब्राहमण निवासी सांवतगढ़ तहसील देवली से आराजी खसरा नम्बर 327 रकबा 2 बीघा 2 बिश्वा, खसरा नम्बर 1378 रकबा 1 बीघा 8 बिश्वा व खसरा नम्बर 1379 रकबा 4 बिश्वा बजंड़ प्रथम व खसरा नम्बर 1380 रकबा एक विश्वा बंजड़ सम्पूर्ण व चाह खसरा नम्बर 357 में 1/3 हिस्सा कीमतन क्रय किया था, तभी से प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण द्वारा खरीद की गयी भूमि का नामांतकरण आराजी खसरा नम्बर 327 रकबा 2 बीघा 2 बिश्वा, खसरा नम्बर 1378 रकबा 1 बीघा 8 बिश्वा व खसरा नम्बर 1379 रकबा 4 बिश्वा बजंड़ प्रथम व खसरा नम्बर 1380 रकबा एक विश्वा बंजड प्रार्थीगण के पक्ष में खुल गया, ओर राजस्व रिकार्ड में भी अमल हो चुका है, चाह खसरा नम्बर 357 में से 1/3 हिस्से का नामान्तकरण संख्या 942 दिनांक 20.05.86 प्रार्थीगण के पक्ष में भरा जाकर जमाबंदी सम्वत् 2033 से 2036 की जमाबंदी में अंकन भी हो गया था, जिसकी जमाबंदी सलंग्न है। मोती पुत्र रूघनाथ ब्राहमण की मृत्यु हो जाने के उपरांत शेष रही भूमि का नामान्तकरण उनके वारिसान का हो चुका है लेकिन गै0मु0 चाह 357 में प्रार्थीगण का 1/3 हिस्से का जमाबंदी में अमल होने के पश्चात् लगातार होना था। गै0मु0 चाह में मोती का सम्पूर्ण हिस्सा के हिस्सा बेचान हो जाने से गै0मु0 चाह में मोती का कोई हिस्सा शेष नही रहा और बैचान हो चुके गै0मु0 चाह के हिस्से का भी राजस्व कर्मचारियों ने गलत रूप से मोती के वारिसान मुरारी लाल पुत्र रामनाराण, रामकरण, रामकल्याण पत्रु रूघनाथ जाति ब्राहमण के नाम गलत रूप से लगा दिया गया है जिसे शुद्धि कर वापिस प्रार्थीगण नम्बर 1 व 2 के नाम लगाया जावे। साबिक खसरा नम्बर 357 रकबा 3 बिश्वा के खसरा नम्बर 815 रकबा 0.05 है0 बनाये गये है, तथा सावंतगढ़ से नया ग्राम दांता बन जाने से साबिक खसरा नम्बर 815 रकबा 0.05 है0 के हाल खसरा नमबर 154 रकबा 0.05 है0 बनाये गये है, जिनका मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया गया है। अकेले प्रार्थी संख्या 1 धर्मसिंह पुत्र रामदेव मीणा ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.06.2000 को दयाल पुत्र मु0 केली बेवा कजोड़ मीणा निवासी दांता सावंतगढ़ से आराजी खसरा नम्बर 815 रकबा 0.05 है0 गै0मु0 चाह का 1/12 हिस्सा व

खसरा नम्बर 818/4130/4413 रकबा 0.12 है0 सम्पूर्ण हिस्सा कीमतन क्रय किया गया था जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल हो चुका है। स्व0 मोती पुत्र रूघनाथ के हिस्से गै0मु0 चाह खसरा नम्बर 357 में से 1/3 गै0मु0 चाह का विक्रय प्रार्थीगण 1 व 2 के पक्ष में हो जाने से उक्त खसरा नम्बर में किसी प्रकार का कोई हिस्सा शेष नही रहा है 357 के नम्बर 815 व उसके पश्चात् हाल खसरा नम्बर 154 बनाये गये है। मात्र क्लेरिकल मिस्टेक से उसके वारिसान का नाम आ गया है जिसे शुद्ध किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। हाल जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 ग्राम दांता तहसील देवली में से स्व0 मोती पुत्र रूघनाथ के वारिसान मुरारी लाल पुत्र रामनारायण, रामकरण, रामकल्याण पुत्र रूघनाथ जाति ब्राहमण का नाम डिलीट कियाजाकर उसके स्थान पर प्रार्थी गण धर्मसिंह, दयाराम पुत्र रामदेव मीणा दांता सांवतगढ़ प्रार्थीगण नम्बर 1 व 2 का नाम अंकित किया जावे। प्रार्थीगण बोनाफाईड़ परचेजर है ओर श्रीमान के क्षेत्राधिकार के निवासी है, गै0मु0 चाह भूमि श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। उक्त प्रार्थना पत्र निर्धारित कोर्ट फीस पर अंदर अवधि माननीय न्यायालय में पेश है।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी सरकार पैरोकार की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो इस प्रकार है:– चरण संख्या 01 प्रार्थीगण रिकार्ड से स्वयं सिद्ध करे। चरण संख्या 02 प्रार्थीगण रिकार्ड से स्वयं सिद्ध करे। चरण संख्या 03 में हितबद्धधारियों को पक्षकार बनाकर सुनवाई करने के पश्चात् न्यायालय द्वारा विधिक कार्यवाही किया जाना न्यायालय से निवेदित है। चरण संख्या 04 रिकार्ड की हद तक स्वीकार है। चरण संख्या 05 प्रार्थीगण रिकार्ड से स्वयं सिद्ध करे। चरण संख्या 06 में हितबद्ध धारियों को पक्षकार बनाकर सुनवाई के पश्चात् न्यायालय द्वारा विधिक कार्यवाही किया जाना न्यायालय से निवेदित है। चरण संख्या 07 में हितबद्धधारियों को पक्षकार बनाकर सुनवाई करने के पश्चात् न्यायालय द्वारा विधिक कार्यवाही किया जाना न्यायालय से निवेदित है। चरण संख्या 08 कानूनी है। चरण संख्या 09 कानूनी है।

विशेष आपत्तिया :

1. रा0ले0रे0 एक्ट 1956 की धारा 136 का क्षेत्राधिकार सिमित है जिसमें भू–प्रबन्ध से पूर्व की लिपिकीय त्रुटि को सुधारने के प्रावधान है यहा भूमि एक खातेदार से दूसरे खातेदार के नाम होंनी है।
2. हितबद्धधारियों (जिसके नाम का विलोपन चाहा गया है) को पक्षकार नही बनाया गया है जो न्याय के सिद्धान्त के विपरित है।

अतः प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

पत्रावली बहस में नियत की गई।
अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को ही दोहराया।
पेरोकार सरकार ने जवाब को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण व पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2073–76 भूमि खाता संख्या 232 खसरा नम्बर 154 रकबा 0.0500 है0 किस्म गै0मु0 चाह ग्राम दांता तहसील देवली में स्थित भूमि स्व0 मोती पुत्र रूघनाथ के वारिसान मुरारी लाल पुत्र रामनारायण, रामकरण, रामकल्याण पुत्र रूघनाथ जाति ब्राहमण का नाम डिलीट कियाजाकर उसके स्थान पर प्रार्थी गण धर्मसिंह, दयाराम पुत्र रामदेव मीणा दांता सांवतगढ़ प्रार्थीगण नम्बर 1 व 2 का नाम अंकित कर राजस्व रिकार्ड में को शुद्ध दुरूस्त किया जाने अर्थात जमाबंदी 2033 से 2036 खसरा नम्बर 357 जिसमें प्रार्थीगण के नाम 1/3 हिस्सा जरिये नामान्तकरण आया है उसे यथावत रखते हुए हाल खसरा नम्बर 154 गै0मु चाह राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा दर्ज करने हेतु निवेदन किया। चूंकि

भू0ले0रे0 एक्ट 1956 की धारा 136 का क्षेत्राधिकार सिमित है जिसमें भू–प्रबन्ध से पूर्व की लिपिकीय त्रुटि को सुधारने के प्रावधान है यहां भूमि से एक खातेदार का नाम विलोपित कर दूसरे खातेदार के नाम होनी है एवं स्व0 मोती पुत्र रूघनाथ के वारिसान मुरारी लाल पुत्र रामनारायण, रामकरण, रामकल्याण पुत्र रूघनाथ जाति ब्राहमण हितबद्धधारियों (जिसके नाम का विलोपन चाहा गया है) को पक्षकार नही बनाया गया है जो न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। जमाबंदी में दर्ज खातेदारों को बिना पक्षकार बनाये उनका नाम जमाबंदी में से विलोपित करना आर.एल.आर.ए 1956 की धारा 136 के क्षेत्राधिकार में नही आने से प्रार्थीगण को न्यायालय में नियमित वाद पेश करना चाहिए।

अतः प्रार्थना पत्र धारा 136 के नियमो से परे होने के कारण अस्वीकार/खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)